



## **प्रेस नोट** । दिनांक: सितम्बर 08, 2020

श्रीमान डीआईजी/एसएसपी महोदय जनपद कानपुर नगर के आदेश के क्रम में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धड पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने हेतु, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सदर, जनपद कानपुर व थानाध्यक्ष महाराजपुर के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन चेकिंग व इनामिया/वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान दिनांक 07.09.2020 को समय 17.15 बजे मुखबिर की सूचना पर सतवरी मोड से थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा थाना महाराजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/17 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के वांछित व 15000 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है जो अपने साथियों के साथ मिलकर अधिक पैसे कमाने की लालच में रोडवेज बसों में बिना टिकट सवारियां बैठाकर भ्रष्टाचार करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना महाराजपुर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



आकाश सिंह

### **नाम पता अभियुक्त:**

1. आकाश सिंह पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद निवासी 86/223 रायपुरवा थाना रायपुरवा जनपद कानपुर नगर व ई0डब्लूएस 7/43 सतवरी गांव गंगापुर कलोनी नियर मुलायम सिंह डिग्री कालेज चौकी न्यू आजाद नगर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर मूल निवास ग्राम माखन निवादा पोस्ट गुडवा जमोली थाना बिल्लौर जनपद कानपुर नगर उम्र 41 वर्ष।

### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 78/17 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना महाराजपुर कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 415/19 धारा 174ए भादवि थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर।

### **अपराध करने का तरीका**

अभियुक्त उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है जो अपने साथियों के साथ मिलकर अधिक पैसे कमाने की लालच में रोडवेज बसों में बिना टिकट सवारियां बैठाकर भ्रष्टाचार करने का अभ्यस्त अपराधी हैं।

## गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना महाराजपुर:

1. उ0नि0श्री राकेश बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कुलगांव थाना महाराजपुर कानपुर नगर।
2. हे0का0 980 सर्वेश कुमार थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर।
3. का0 3070 विजय कुमार थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर।

थाना महाराजपुर,  
कानपुर नगर पुलिस,